महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

बनाम

अपीलीय प्राधिकरण और अन्य

15 फरवरी, 2018

[न्यायमूर्तिगण आर0 के0 अग्रवाल और अभय मनोहर सप्रे]

विद्युत अधिनियम, 2003 – धारा 126, 127 – उत्तरदाता संख्या 2 विद्युत के उपभोक्ता हैं, जो उन्हें राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा आपूर्ति की जाती है – बोर्ड के जासूस ने उत्तरदाता संख्या 2 के कारखाने का दौरा किया और विद्युत मीटर को एक नए मीटर से बदल दिया – जासूस फिर से कारखाने का दौरा किया और निरीक्षण करने पर मीटर सील के साथ कुछ छेड़छाड़ पाई गई, इसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता द्वारा विद्युत के अनधिकृत उपयोग के लिए धारा 126 के अंतर्गत औपबंधिक मूल्यांकन किया गया – रिट याचिका – रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, अंतिम मूल्यांकन आदेश पारित किया गया था उत्तरदाता संख्या 2 के विरुद्ध, हालांकि, इसे अपास्त कर दिया गया और अलग रखा गया और मामला प्राधिकरण को भेज दिया गया – फिर से, प्राधिकरण ने उत्तरदाता संख्या 2 के विरुद्ध अंतिम आदेश पारित किया – अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील का निस्तारण किया गया – बोर्ड और उत्तरदाता संख्या 2 दोनों द्वारा रिट याचिकाएं दायर की गईं –उपभोक्ता – उच्च न्यायालय ने मामले को आकलन प्राधिकारी को भेज दिया और पक्षों को धारा 126/127 के प्रावधानों का पालन करने का निर्देश दिया – प्रतिपादित किया: उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है, जो तथ्यों पर टिकाऊ है – उच्च न्यायालय ने उपभोक्ताओं की रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हुए और परिणामस्वरूप, अपीलीय एफ प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 127 के अंतर्गत पारित अपीलीय आदेश को अपास्त करते हुए मामले को धारा 126 के अंतर्गत औपबंधिक मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन प्राधिकारी को भेज दिया। और फिर जरूरत पड़ने पर अपील दायर करने के लिए अधिनियम की धारा 127 के अंतर्गत सहारा लेना – अधिनियम की योजना के अनुरूप उच्च न्यायालय के निर्देश – इस प्रकार, अधिकारियों को उच्च न्यायालय जी के निर्देशों का पालन करने और धारा 126 के अंतर्गत परिणामी आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया ।

न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए

प्रतिपादित किया: 1. उच्च न्यायालय ने उपभोक्ताओं की रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हुए और परिणामस्वरूप, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 127 के अंतर्गत पारित अपीलीय आदेश को अपास्त करते हुए मामले को औपबंधिक मूल्यांकन करने के लिए अधिनियम की धारा 126 के अन्तर्गत मूल्यांकन प्राधिकारी को भेज दिया और फिर जरूरत पड़ने पर अपील दायर करने के लिए अधिनियम की धारा 127 के अंतर्गत सहारा लेना होगा। इन निर्देशों को विचलित करने का कोई कारण नहीं है जो अधिनियम की योजना के अनुरूप हैं। [पैरा 12] [541–ईएफ]

2. जहां तक मौजूदा मामले में नए विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों की प्रयोज्यता का सवाल है, हालांकि इसकी प्रयोज्यता के बारे में कुछ संदेह उठाए गए थे लेकिन इसमें कोई सार नहीं है। अधिनियम 2003 इस मामले के तथ्यों पर प्रयोज्य होता है क्योंकि अधिनियम 2003 10.06.2003 को प्रवर्तन हुआ जबकि उत्तरदाता संख्या 2 के कारखाने के परिसर में स्थापित मीटर का निरीक्षण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा 02.08.2003 को किया गया था। इसलिए, यह स्पष्ट है कि बोर्ड ने अधिनियम 2003 प्रवर्तन होने के बाद मीटर का निरीक्षण किया। इसलिए, अधिनियम 2003 के प्रवर्तन होने के बाद कार्रवाई का कारण बोर्ड को प्राप्त हुआ और इसलिए, उत्तरदाता संख्या 2 के मामले को 2003 के अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निपटाया जाना आवश्यक था। [पैरा 13, 14] [541–एफएच; 542–ए]

3. चूंकि बोर्ड द्वारा उत्तरदाता संख्या 2 (उपभोक्ता) के विरुद्ध अधिनियम की धारा 126 के अंतर्गत औपबंधिक/अंतिम बिल जारी करके कार्रवाई की गई थी, इसलिए, उत्तरदाता संख्या 2 को इस तरह की मांग के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अधिनियम की धारा 127 में अपील दायर करने का अधिकार था। [पैरा 15] [542–बी]

4. बोर्ड की इस दलील में कोई दम नहीं है कि उत्तरदाता संख्या 2 को अधिनियम की धारा 126 के अंतर्गत उठाए गए आदेश/मांग को चुनौती देने के लिए अधिनियम की धारा 127 के अंतर्गत अपील का कोई अधिकार नहीं था। दूसरे शब्दों में, उत्तरदाता संख्या 2 को अधिनियम की धारा 126 के अंतर्गत पारित आदेश को चुनौती देने के लिए अधिनियम की धारा 127 के अंतर्गत अपील का अधिकार था। [पैरा 16] [542–सी]

5. वास्तव में, एक बार जब अधिनियम को प्रश्नगत विवाद पर प्रयोज्य माना जाता है, तो एक किले, अधिनियम के सभी प्रावधान उस मामले पर प्रयोज्य होंगे जिसमें स्पष्ट रूप से एक प्रावधान शामिल होगा जो अपीलीय प्राधिकरण में अपील का अधिकार प्रदान करता है। अधिनियम की योजना में, अधिनियम की धारा 126 विद्युत के अनधिकृत उपयोग के लिए ऐसे व्यक्ति (उपभोक्ता) द्वारा देय विद्युत शुल्क के आकलन से संबंधित है, जबकि धारा 135 विद्युत की चोरी के मामलों से संबंधित है। दूसरे शब्दों में, एक बार जब बोर्ड किसी उपभोक्ता द्वारा विद्युत के अनधिकृत उपयोग के मामले का पता लगाता है, तो ऐसी स्थिति में, बोर्ड को अधिनियम के अंतर्गत धारा 126 या/ और 135 के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति/उपभोक्ता के विरुद्ध कार्रवाई करने का कारण मिलता है। धारा 126 और 135 दोनों ही सभी प्रकार से स्वतंत्र हैं और विभिन्न प्रकार के दायित्व और परिणाम प्रदान करती हैं। एक में मौद्रिक दायित्व (धारा 126) शामिल है जबकि दूसरे में आपराधिक दायित्व (धारा 135) शामिल है। इसलिए, बोर्ड ऐसे व्यक्ति/उपभोक्ता के विरुद्ध विधि के अनुसार अधिनियम की धारा 126 या/और 135 के प्रावधानों का सहारा लेने के लिए स्वतंत्र है। [पैरा 17–20] [542–डीएच]

6. इन परिस्थितियों में, यदि बोर्ड किसी व्यक्ति/उपभोक्ता के विरुद्ध कोई कार्रवाई शुरू करता है, तो ऐसी कार्रवाई को ऐसे व्यक्ति/उपभोक्ता को एक अवसर प्रदान करने के बाद अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसके तार्किक अंत तक पहुंचाया जाना चाहिए। [पैरा 21] [542–जीएच]

7. अपीलों को खारिज करने के परिणामस्वरूप, अधिकारियों को उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने और उपभोक्ताओं (प्रतिवादियों) के मामले में विधि के अनुसार अधिनियम की धारा 126 के अंतर्गत परिणामी आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है। [पैरा 23] [543–बी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2007 की सिविल अपील संख्या 3370।

2005 की रिट याचिका संख्या 5858 में बॉम्बे, नागपुर पीठ, नागपुर में न्यायिक उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04.05.2007 से।

साथ

2007 का सीए संख्या 3377–3381, 3376 और 3371–3375

एएस भस्म और पंकज क्र. अपीलकर्ता की ओर से मिश्रा, अधिवक्ता।

सुश्री वी. मोहना सीनियर एडवोकेट, सत्यजीत देसाई, महमूद उमर फारूकी, सुश्री अनघा एस. , उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्तागण।

न्यायालय का निर्णय, अभय मनोहर सप्रे, जे. द्वारा उदघोषित किया गया।

1. ये अपीलें 2005, 2821, 2705, 2706/2006, 6219/2005, 721/ 2006, 3737/2005, 3935/2005, 1386, 1389, 1586 और 2060/2006 की रिट याचिका संख्या 5858 में बॉम्बे उच्च न्यायालय, नागपुर पीठ, नागपुर के के सामान्य अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 04.05.2007 के विरुद्ध निर्देशित हैं। जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया और आंशिक रूप से उत्तरदाता–उपभोक्ता द्वारा दायर रिट याचिकाओं को अनुमति दी।

2. इन अपीलों में शामिल विवाद संक्षिप्त है क्योंकि यह नीचे उल्लिखित तथ्यों से स्पष्ट होगा।

3. सुविधा के लिए, 2007 के सीए संख्या 3370 से संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखा गया। उत्तरदाता संख्या 2 अकोला (महाराष्ट्र) में कपास के बीज कुचलने वाली तेल मिल चला रहा है। वे विद्युत के उपभोक्ता हैं, जो उन्हें राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा आपूर्ति की जाती है – यहां अपीलकर्ता (इसके बाद "बोर्ड" के रूप में संदर्भित)

4. 17.03.2003 को, बोर्ड के अधिकारियों ने उत्तरदाता संख्या 2 के कारखाने का दौरा किया और कारखाने में स्थापित मीटर संख्या 356 को नए मीटर संख्या एमएसई 04821 से बदल दिया। 02.08.2003 को, अधिकारियों ने फिर से कारखाने का दौरा किया और निरीक्षण में पाया कि मीटर सील के साथ कुछ छेड़छाड़ किया गया है । इससे विद्युत के अनधिकृत उपयोग के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 126 के अंतर्गत अपीलकर्ता द्वारा औपबंधिक मूल्यांकन किया गया। बोर्ड ने तदनुसार उत्तरदाता संख्या 2 को एक औपबंधिक बिल भेजा, जिसके बाद संशोधित औपबंधिक बिल दिनांक 16.08.2003 को 21,38,660/– रुपये का भेजा गया।

5. उत्तरदाता संख्या 2 ने व्यथित महसूस करते हुए एक रिट याचिका दायर की और औपबंधिक बिल की वैधता और शुद्धता पर सवाल उठाया। रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, 24.11.2003 को उत्तरदाता संख्या 2 को अंतिम मूल्यांकन आदेश जारी किया गया था। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने उस आदेश को अपास्त कर दिया और अंतिम आदेश पारित करते समय उत्तरदाता

संख्या 2 को अवसर देने के लिए मामले को प्राधिकरण को भेज दिया। यह किया गया था और तदनुसार अंतिम आदेश दिनांक 29–30.04.2004 को उत्तरदाता संख्या 2 के विरुद्ध 62,52,632/– रुपये की मांग करते हुए प्राधिकरण द्वारा पारित किया गया था।

6. उपरोक्त आदेश को उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा अधिनियम की धारा 127 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष चुनौती दी गई थी। अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 15.04.2005 के आदेश द्वारा अपील का निस्तारण कर दिया, जिससे बोर्ड और उपभोक्ता (उत्तरदाता संख्या 2) द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय, नागपुर पीठ में रिट याचिका दायर की गई। इसी तरह के अन्य उपभोक्ताओं ने भी उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर कीं

7. उच्च न्यायालय ने आम निर्णय पर रोक लगाते हुए बोर्ड द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया, जबकि उपभोक्ताओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं को आंशिक रूप से अनुमति दी। अपीलीय आदेश को अपास्त करते हुए, उच्च न्यायालय ने मामले को मूल्यांकन प्राधिकारी को भेज दिया और पक्षों को अधिनियम की धारा 126/127 के प्रावधानों का पालन करने का निर्देश दिया।

8. इस निर्णय के विरुद्ध अकेले बोर्ड ने व्यथित महसूस किया है और इस न्यायालय में विशेष अनुमति के माध्यम से ये अपीलें दायर की हैं।

9. अपीलकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री एएस भस्मे और प्रतिवादियों के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री वी मोहना को सुना।

10. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और मामले के रिकॉर्ड को पढ़ने के बाद, हम उन विधिक प्रश्नों की जांच करना आवश्यक नहीं समझते हैं, जो बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, इन अपीलों में उठते हैं और उन्हें खुला छोड़ देते हैं। उचित मामले में निर्णय लिया जा रहा है, यदि वे वास्तव में उत्पन्न होते हैं और लिस पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक पाए जाते हैं।

11. विधिक प्रश्नों को छोड़ दें, हमें अन्यथा उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है, जो हमारी राय में, तथ्यों पर टिकाऊ है।

12. यह कहना पर्याप्त है कि, उच्च न्यायालय ने उपभोक्ताओं की रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हुए और परिणामस्वरूप, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 127 के अंतर्गत पारित अपीलीय आदेश को अपास्त करते हुए मामले को औपबंधिक बनाने के लिए मूल्यांकन प्राधिकारी को अधिनियम की धारा 126 के अंतर्गत मूल्यांकन भेज दिया और फिर आवश्यकता पड़ने पर अधिनियम की धारा 127 के अंतर्गत अपील दायर करने का सहारा लेना। हमें इन निर्देशों को विचलित करने का कोई कारण नहीं मिलता है, जो हमारी राय में, अधिनियम की योजना के अनुरूप हैं।

13. जहां तक मौजूदा मामले में नए विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों की प्रयोज्यता का सवाल है, हालांकि इसकी प्रयोज्यता के बारे में कुछ संदेह उठाए गए थे, लेकिन, हमारी राय में, इसमें कोई सार नहीं है। हमारी राय में, अधिनियम 2003 इस मामले के तथ्यों पर प्रयोज्य होता है क्योंकि अधिनियम 2003 10.06.2003 को प्रयोज्य हुआ था जबकि उत्तरदाता संख्या 2 के कारखाने के परिसर में स्थापित मीटर का निरीक्षण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा 02.08. 2003 को किया गया था।

14. इसलिए, यह स्पष्ट है कि बोर्ड ने अधिनियम 2003 प्रयोज्य होने के बाद मीटर का निरीक्षण किया। इसलिए, अधिनियम 2003 के प्रयोज्य होने के बाद कार्रवाई का कारण बोर्ड को प्राप्त हुआ और इसलिए, उत्तरदाता संख्या 2 के मामले को 2003 के अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निपटाया जाना आवश्यक था।

15.चूंकि बोर्ड द्वारा उत्तरदाता संख्या 2 (उपभोक्ता) के विरुद्ध अधिनियम की धारा 126 के अंतर्गत औपबंधिक/अंतिम बिल जारी करके कार्रवाई की गई थी और इसलिए, उत्तरदाता संख्या 2 को इस तरह की मांग के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अधिनियम की धारा 127 के अंतर्गत अपील दायर करने का अधिकार था।

16. इसलिए, हम बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता की इस दलील को स्वीकार नहीं कर सकते कि उत्तरदाता संख्या 2 को अधिनियम की धारा 126 के अंतर्गत उठाए गए आदेश/मांग को चुनौती देने के लिए अधिनियम की धारा 127 के अंतर्गत अपील का कोई अधिकार नहीं है। दूसरे शब्दों में, उत्तरदाता संख्या 2 को अधिनियम की धारा 126 के अंतर्गत पारित आदेश को चुनौती देने के लिए अधिनियम की धारा 127 के अंतर्गत अपील का अधिकार था।

17. वास्तव में, एक बार जब अधिनियम को प्रश्नगत विवाद पर प्रयोज्य माना जाता है, तो एक फोर्टियोरी, अधिनियम के सभी प्रावधान उस मामले पर प्रयोज्य होंगे जिसमें स्पष्ट रूप से एक प्रावधान शामिल होगा जो अपीलीय प्राधिकरण को अपील का अधिकार प्रदान करता है।

18.अधिनियम की योजना में, हम पाते हैं कि अधिनियम की धारा 126 विद्युत के अनधिकृत उपयोग के लिए ऐसे व्यक्ति (उपभोक्ता) द्वारा देय विद्युत शुल्क के आकलन से संबंधित है जबकि धारा 135 विद्युत की चोरी के मामलों से संबंधित है।

19. दूसरे शब्दों में, एक बार जब बोर्ड किसी उपभोक्ता द्वारा विद्युत के अनधिकृत उपयोग के मामले का पता लगाता है, तो ऐसी स्थिति में, बोर्ड को अधिनियम के अंतर्गत धारा 126 या/और 135 के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति/उपभोक्ता के विरुद्ध कार्रवाई करने का कारण मिलता है। धारा 126 और 135 दोनों ही सभी प्रकार से स्वतंत्र हैं और विभिन्न प्रकार के दायित्व और परिणाम प्रदान करती हैं। एक में मौद्रिक दायित्व (धारा 126) शामिल है जबकि दूसरे में आपराधिक दायित्व (धारा 135) शामिल है।

20. इसलिए, बोर्ड ऐसे व्यक्ति/उपभोक्ता के विरुद्ध विधि के अनुसार अधिनियम की धारा 126 या/और 135 के प्रावधानों का सहारा लेने के लिए स्वतंत्र है।

21.इन परिस्थितियों में, यदि बोर्ड किसी व्यक्ति/उपभोक्ता के विरुद्ध कोई कार्रवाई शुरू करता है, तो ऐसी कार्रवाई को ऐसे व्यक्ति/उपभोक्ता को एक अवसर प्रदान करने के बाद अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसके तार्किक अंत तक लाया जाना चाहिए।

22. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर और टिप्पणियों के अधीन, हम अपीलों में कोई गुणावगुण नहीं पाते हैं, जो विफल हो जाती हैं और तदनुसार खारिज कर दी जाती हैं।

23. अपीलों को खारिज करने के परिणामस्वरूप, अधिकारियों को उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने और इस आदेश की दिनांक से तीन महीने के भीतर उपभोक्ताओं (प्रतिवादियों) के मामले में विधि के अनुसार अधिनियम की धारा 126 के अंतर्गत परिणामी आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है।

अंकित ज्ञान अपील

खारिज।

Name of Judicial Officer - RAM MURTI YADAV, ADDITIONAL DISTRICT JUDGE, AZAMGARH (RETIRED)